उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–884/छः–पु0–9–17–31(27)/2017

लखनऊः दिनांकः 18 अप्रैल,2017

अधिसूचना

(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–02 सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन सम्बन्धी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–24 सन् 1965) की धारा–2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित समस्त केन्द्रों के प्राचार्यों/केन्द्र अधीक्षकों को अधिसूचना निर्गत किए जाने की तिथि से दिनांक 03 जून,2017 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, नियुक्त करते हैं और उन्हें सम्बन्धित केन्द्रों, जिनके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

मणि प्रसाद मिश्र

सचिव।

संख्या– 884 /छः–पु0–9–2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित, निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड– ''ख'' में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

संख्या– 884 /छः–पु0–9–2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) **आयुक्त–** फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
(3) **जिला मजिस्ट्रेट–** फैजाबाद।
(4) **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक–** फैजाबाद।
(5) कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
(6) सम्बन्धित प्राचार्य/केन्द्र अधीक्षक (द्वारा–कुलसचिव, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद)।
(7) उच्च शिक्षा अनुभाग–1, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ।
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की मुख्य परीक्षा 2017 हेतु निर्धारित समस्त परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य/केन्द्राध्यक्षों को उपरोक्तानुक्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/4/17

परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव